श्री सभापतिः ठीक है। वे आपको दे देंगे।

Revamping of the Crop Insurance Scheme

*95. DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is planning to revamp the Crop Insurance Scheme, stressing on advantage to the farmers, if so, the details thereof;

(b) the details of the precautions taken by Government to make the Scheme a Suraksha Kavach and more advantageous to farmers for getting out of the burden of premiums and crop losses;

(c) whether it is also a fact that abnormal delays are taking place in settlement of claims of farmers; and

(d) if so, the remedial measures taken by Government for early settlement of claims and to prevent losses to the farmers?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The existing crop insurance schemes namely, National Crop Insurance Programme (NCIP) with its three component schemes viz. Modified National Agricultural Insurance Scheme (MNAIS), Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) and Coconut Palm Insurance Scheme (CPIS) and National Agricultural Insurance Scheme (NAIS) have been comprehensively reviewed and Government of India has recently approved the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) which would replace the existing schemes of NAIS/MNAIS from ensuing Kharif 2016.

PMFBY is a marked improvement over the earlier schemes on several counts and comprehensive risk coverage from pre-sowing to post-harvest losses has been provided under it. Unit area of insurance has been reduced to village/village panchayat level for major crops where claims will be settled on unit area basis. However, for localized risks like hailstorm, landslide and inundation, claims will be settled on individual farm basis. The premium payable by farmers has been substantially reduced and simplified and there is single premium rate on pan-India basis for farmers, which would be maximum 1.5%, 2% and 5% for all Rabi, Kharif and annual horticultural/commercial crops, respectively. Other improved features of the scheme are no capping on premium with no deduction in sum insured; provision for coverage of the risk of post harvest losses due to cyclonic and unseasonal rains will be applicable on pan-India level, allocation of districts/areas on cluster/group basis and for longer period to insurance companies, for more effective implementation, as well as use of remote sensing technology and use of smartphone for

getting images of Crop Cutting Experiments etc. for early settlement of claims. Salient features of the scheme are given in the Statement-I (*See* below).

Premium rates payable by farmers, selection of insurance company and administrative and operational structure of Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) has also rationalized and brought at par with PMFBY.

(c) and (d) Yes, Sir. To address this problem, use of remote sensing technology, use of smartphone for getting images of Crop Cutting Experiments (CCEs) alongwith its data, use of Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/Drone for smart sampling techniques and online transmission of yield/crop loss data used for early assessment of crop losses and early settlement of claims to farmers have been introduced under the new scheme.

Statement-I

Details of Salient Features of PMFBY

(i) Provide comprehensive insurance coverage against crop loss on account of non-preventable natural risks, thus helping in stabilizing the income of the farmers and encourage them for adoption of innovative practices.

(ii) Increase the risks coverage of crop cycle - pre-sowing to post-harvest losses.

(iii) Area approach for settlement of claims for widespread damage. Notified Insurance unit has been reduced to Village/Village Panchayat for major crops.

(iv) Uniform maximum premium of only 2%, 1.5% and 5% to be paid by farmers for all Kharif Crops, Rabi Crops and Commercial/horticultural crops respectively.

(v) The difference between premium and the rate of Insurance charges payable by farmers shall be shared equally by the Centre and State.

(vi) Uniform seasonality discipline and Sum Insured for both loanee and non-loanee farmers.

(vii) Removal of provision of capping on premium and reduction of sum insured to facilitate farmers to get claim against full sum insured without any reduction.

(viii) Inundation has been incorporated as a localized calamity in addition to hailstorm and landslide for individual farm level assessment.

(ix) Provision of individual farm level assessment for Post harvest losses against the cyclone and unseasonal rains for the crops kept in the field to dry upto a period of 14 days, throughout the country.

(x) Provision of claims upto 25% of sum insured for prevented sowing.

(xi) "on-account" payment upto 25% of sum insured for mid season adversity, if the crop damage is reported more than 50%. Remaining claims based on Crop Cutting Experiments (CCEs) data.

(xii) For more effective implementation, a cluster approach will be adopted under which a group of districts with variable risk profile will be allotted to an insurance company through bidding for a longer duration upto 3 years.

(xiii) Use of Remote Sensing Technology, Smartphones and Drones for quick estimation of crop losses to ensure early settlement of claims.

(xiv) Crop Insurance Portal has been launched. This will be used extensively for ensuring better administration, co-ordination, transparency and dissemination of information.

(xv) Focused attention on increasing awareness about the schemes among all stakeholders and appropriate provisioning of resources for the same.

(xvi) The claim amount will be credited electronically to the individual farmer's Bank Account.

(xvii) Adequate publicity in all the villages of the notified districts/areas.

(xviii) Premium rates under weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS) have also been reduced and brought at par with new scheme. Further, capping on Actuarial premium and reduction in sum insured has been removed in this scheme also.

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः सभापति महोदय, फसल बीमा योजना के पुनरुद्धार के लिए सरकार के द्वारा एक नयी स्कीम पीएमएफबीवाई तैयार की जा रही है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से बड़ा स्पेसिफिक सवाल है कि किसानों के प्रीमियम के बोझ को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, देश में फसल बीमा योजना पहले से चल रही थी, लेकिन उसके अन्दर जो प्रीमियम की दर थी, वह 15 फीसदी तक थी और अलग-अलग जिलों में अलग-अलग रेट थे तथा अलग-अलग फसलों के लिए अलग-अलग रेट थे। यह जो नयी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आयी है, उसमें अब पूरे देश में हर जिला के लिए एक प्रीमियम रेट रखा गया है। रबी के सीज़न में जो भी फसल होगी, उसके लिए 1.5 प्रतिशत और खरीफ के सीज़न में जो भी फसल होगी, उसके लिए 2.5 प्रतिशत का प्रीमियम निश्चित किया गया है और शेष रकम की भरपाई राज खज़ाने से की जायेगी।

डा. प्रदीप कुमार बालमुचूः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार शीघ्र और समय सीमा के अन्दर दावों का निपटारा करने के लिए क्या कदम उठा रही हैं?

श्री राधा मोहन सिंहः सर, पहले राज्य सरकार के पटवारी और लेखपाल होते थे। वे तीन महीने के अन्दर आकलन करके भेजते थे। नयी व्यवस्था में अब उन सबको स्मार्ट फोन मुहैया कराया जाएगा और ऑनलाइन द्वारा उपज के आंकड़े सेंट्रल सर्वर पर उपलब्ध कराये जायेंगे, जिससे अब बीमा कम्पनियों को फसल या उपज के आंकड़े एक माह के अन्दर प्राप्त हो जायेंगे।

श्री बलविंदर सिंह भुंडरः ऑनरेबल चेयरमैन साहब, स्कीम तो बहुत अच्छी है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। स्थिति में पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन इसमें दो प्वाइंट्स और हैं। मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो विलेज यूनिट है, क्या उसे विलेज यूनिट बनाने के बजाए इंडिविजुअल फार्मर को यूनिट बनायेंगे? दूसरा, जो हेलस्टार्म या पैस्ट से लॉस होता है, जैसे यह एक खेत में पड़ जाता है और एक खेत में नहीं पड़ता, तो मैं आपके जरिए माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ... इस स्कीम को और ठीक करने के लिए विलेज़ यूनिट की बजाए individual farmer को यूनिट बनाया जाए, ताकि हर किसान को इसका फायदा हो। दूसरी बात यह है कि जो प्रीमियम है, उसको कम किया गया है, लेकिन इसको और कम किया जाए, क्योंकि यह भी किसान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, स्थानीय आपदाओं के लिए अब इकाई को खेत स्तर तक कर दिया गया है।

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि वह किसान जो जमीन लीज़ पर लेता है, क्योंकि उनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, वह दो एकड़, पांच एकड़ या कुछ जमीन लीज़ पर लेता है, क्या उसकी फसल का भी बीमा किया जाएगा? क्या उसको भी इसका फायदा मिल सकेगा, क्योंकि ज्यादातर किसान जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, विशेष करके पंजाब में वे इसी category में आते हैं? मैं यह जानना चाहूंगी कि क्या आप उन लोगों को भी इस स्कीम के तहत लेंगे, जिनके नाम पर जमीन नहीं है? वे जमीन लीज़ पर लेते हैं, उसके लिए वे बीज भी लेते हैं, फसल भी उगाते हैं, उनकी फसल खराब हो जाती है और उनको उसका कुछ compensation नहीं मिलता है?

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, अलग-अलग राज्यों में लैंड लीज पॉलिसी इस प्रकार की बनी हुई है, जिसके कारण इसका लाभ उनको नहीं मिलता है। हमने सभी राज्यों से, जो प्रश्न 1 था, जिसमें इंडस्ट्री की शंका बड़ी तेजी से हमारे सिर पर सवारी कर रही है, वह इसीलिए किया जा रहा है कि ऐसे किसानों के लिए ऐसी लैंड लीज पॉलिसी बनाइए ताकि वैसे किसान भी बीमा का लाभ उठा सकें। जयराम रमेश जी ने जिस काम को शुरू किया था, उसको हम तेजी से लागू करने जा रहे हैं। इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... राज्य सरकारें अपनी-अपनी लैंड लीज पॉलिसी ठीक करें, ताकि इसका लाभ ऐसे किसानों को मिले, जो लीज पर जमीन लेकर खेती करते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, मेरा प्रश्न यह है ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: The message is continuity. *...(Interruptions)...*

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, इन्होंने इंडस्ट्री की बात की है, लेकिन मैं उन किसानों की बात कर रही हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापतिः नहीं, नहीं, आपका खत्म हो गया। ...(**व्यवधान**)... Please.

श्रीमती विप्लव ठाकुरः सर, मैंने जो सवाल पूछा, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः मैं आपको फिर जवाब दे रहा हूं कि राज्यों में लैंड लीज पॉलिसी इस प्रकार की है, जिसके कारण उन किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलता है। हम इस टास्क फोर्स के माध्यम से सभी राज्यों से बात कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप लैंड लीज पॉलिसी इस प्रकार की बनाइए कि बीमा का लाभ वैसे किसानों को भी मिले।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, "हे राम, जय राम जी की", this is the era of video-doctoring technology. Now, the Union Government is keeping a lot of hopes on the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana to cater to the welfare of the agrarian sector and they have worked out an elaborate insurance programme by combining several existing insurance schemes. In that, they tried to keep 25 per cent for sowing and 25 per cent for mid-season adversity and remaining for crop-cutting" estimates. I also appreciate it to identify village as the unit in insurance decision. At the same time, I would like to know whether the Union Government in consultation with the State Governments is planning to involve agricultural extension official mechanism and revenue mechanism to give larger scope to the insurance claims and not to fall prey to the private insurance companies. Thank you.

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, हमने स्थानीय आपदाओं के लिए खेत, जो सबसे नीचे की इकाई हो सकता है, वह तय किया है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताऊं कि राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों के द्वारा तय किए गए इलाके में तय की गई फसल, जो कि अनाज, खाद्यान्न, तिलहन, सालाना व्यावसायिक और बागवानी फसल हो सकती है, उगाने वाले किसान बीमा कर सकते हैं। यह इलाका कौन-सा होगा, अनाज कौन-सा होगा, इसके बारे में राज्य सरकार notification जारी करती है और फिर टेंडर करके कौन बीमा कंपनी वहां पर काम करे, यह राज्य सरकार तय करती है। मैं इसके फायदे की चर्चा आपसे करना चाहूंगा कि पहले किसान के बुआई करने के बाद जब फसल निकलता था, तब आपदा के बाद उसके बीमा का क्लेम मिलता था। यदि किसान ने तैयारी की और आपदा के कारण वह बुआई नहीं कर पाया, तो इस नई योजना में उसको भी बीमा भुगतान करने की कुछ व्यवस्था की गई है। पहले यह होता था कि यदि किसान ने खेत में फसल काटी और वह खेत में पड़ी हुई है, तो उसके बीमा का भुगतान उसे नहीं होता था। आपके ध्यान में यह होगा कि जब किसान फसल की कटाई करते हैं, तो उसे वे पांच-छः दिन खेत में छोड़ते हैं और फिर उसमें से अनाज निकालने की कोशिश करते हैं। पहले यह व्यवस्था नहीं थी कि कटाई के बाद यदि फसल खेत में पड़ी है और उसी बीच आपदा आ गई, तो उसका बीमा किसान को मिले। अब इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि वह फसल 14 दिन तक खेत में पड़ी हुई है, तो उसका बीमा भी किसान को दिया जाएगा। इसलिए हम, आप और पूरा देश यह मान रहा है कि किसानों की राहत के लिए अब इससे बड़ी कोई योजना नहीं हो सकती। इसमें राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। राज्य सरकारों ने इसमें रुचि दिखाई है और कई राज्यों ने प्रकिया शुरू की है। इसको प्रारंभ करने से पहले एक साल तक राज्यों से काफी विचार-विमर्श हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Thank you.

श्री राधा मोहन सिंहः मैं समझता हूं कि सभी भेदभाव और आपसी दुराव से अलग हटकर भारत सरकार और राज्य सरकारें, दोनों इस चीज़ के लिए बड़ी तेजी से काम कर रही हैं कि अगर किसानों की आत्महत्या रोकनी है, उनकी समस्याएं, जिनकी अभी चर्चा की गई, उनका समाधान करना है, तो इन योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करना होगा, कंजूसी नहीं करनी होगी।

SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: There is no cover for seeds. सर, जब किसानों को बीज ...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Make a proposal. ...*(Interruptions)* ... Question No. 96. Dr. K.V.P. Ramachandra Rao. Let the answer be given.